रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2011/अग्रहायण 14, 1933

No. 235] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2011/AGRAHAYANA 14, 1933

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2011

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2011

सं. भाराराप्रा/11011/09/2009-एच.आर. II.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2011 कहलाएंगे।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए पात्रता के मानदण्ड और अर्हताएं निर्धारित करते हुए अनुसूचियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"लेखाकार"

3. मूल विनियमावली की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए पात्रता के मानदण्ड और अर्हताएं निर्धारित करते हुए अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)"

राजीव यादव, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/09/असा.]

[विज्ञापन III/4/122/11/असा.]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या भाराराप्रा/11011/09/2009-एच.आर.-I, तारीख 13 जनवरी, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 14 जनवरी, 2010 में किया गया था।

उप महाप्रबंधक [वित्त एवं लेखा]

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के संबंध में आयु
1	2	3	4	5	6
उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	17 आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'क'	पीबी-3 (15600-39100 रुपये), श्रेणी वेतन 7600.00 रुपये सहित	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती	अधिकतम 45 वर्ष

अर्हताएं और अनुभव	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के मामले में
7	8
शैक्षिक अर्हता (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii)वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय चाटर्ड लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा अथवा भारतीय लागत और निर्माणकार्य लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा अथवा वित्त में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातकोत्तर अथवा 9 वर्ष के अनुभव सहित केन्द्र सरकार की लागत/लेखा/वित्त सेवा के संगठित समूह 'क' का सदस्य हो । **अनुभव :** **अनिवार्य** भारत सरकार अथवा किसी सरकारी उपक्रम अथवा किसी स्वायत्तशासी निकाय अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में वित्त/लेखा संबंधी कार्यों का न्यूनतम 9 (नौ) वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन, विशेष रूप से, भारत सरकार अथवा किसी सरकारी उपक्रम अथवा किसी स्वायत्तशासी निकाय अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय/निधिकरण संगठन अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में योजना, प्रापण, कार्यान्वयन, सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा संविदा प्रबंधन का पूरा ज्ञान हो ।	**प्रोन्नति :** प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) जिन्होंने कम से कम 3 (तीन) वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो, से प्रोन्नति द्वारा । **प्रतिनियुक्ति :** भारत सरकार में उप सचिव के पैनल में शामिल अभ्यर्थियों, जो केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समकक्ष पदधारी हों, अथवा जो वेतन बैंड-3 (15,600-39,100/-रुपये) एवं श्रेणी वेतन 6,600/-रुपये की वेतन संरचना में (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) और आइडीए पद्धति में समतुल्य 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनके पास कॉलम-7 में निर्धारित व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव हो, से प्रतिनियुक्ति द्वारा । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** 4 वर्ष, किन्तु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा । **सीधी भर्ती :** भारत सरकार में उप सचिव के पैनल में शामिल अभ्यर्थियों, जो केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष पदधारी हों, अथवा जो वेतन बैंड-3 (15,600-39,100/-रुपये) एवं श्रेणी वेतन 6,600/-रुपये की वेतन संरचना में (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) और आइडीए पद्धति में समतुल्य 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनके पास कॉलम-7 में निर्धारित व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव हो ।

प्रबंधक [वित्त एवं लेखा]

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के संबंध में आयु
1	2	3	4	5	6
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	46 आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन	समूह क	पीबी-3 (15600-39100 रुपये), श्रेणी वेतन 6600.00 रुपये सहित	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती	अधिकतम 40 वर्ष

अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के मामले में
7	8
शैक्षिक अर्हता (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा अथवा भारतीय लागत और निर्माणकार्य लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा अथवा वित्त में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातकोत्तर अथवा 7 वर्ष के अनुभव सहित केन्द्र सरकार की लागत/लेखा/वित्त सेवा के संगठित समूह 'क' का सदस्य हो । **अनुभव** भारत सरकार अथवा किसी सरकारी उपक्रम अथवा किसी स्वायत्तशासी निकाय अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन के वित्त/लेखा विभाग में 7 वर्ष का अनुभव ।	**प्रोन्नति :** ऐसे उपयुक्त अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने ठीक नीचे के ग्रेड में 5400/- रुपये श्रेणी वेतन में 5 (पाँच) वर्ष की नियमित सेवा अथवा 4800/- रुपये श्रेणी वेतन में छह वर्ष की सेवा कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :** भारत सरकार में अवर सचिव के पैनल में शामिल अभ्यर्थियों, जो केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समकक्ष पदधारी हों, अथवा जो वेतन बैंड-3, श्रेणी वेतन 5400/-रुपये की वेतन संरचना में (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) और आइडीए पद्धति में समतुल्य 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनके पास कॉलम-7 में निर्धारित व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव हो, अथवा जो वेतन बैंड-2, श्रेणी वेतन 4800/-रुपये की वेतन संरचना में (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) और आइडीए पद्धति में समतुल्य 6 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनके पास कॉलम-7 में निर्धारित व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव हो, से प्रतिनियुक्ति द्वारा । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** 3 वर्ष, किन्तु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा । **सीधी भर्ती :** भारत सरकार में अवर सचिव के पैनल में शामिल अभ्यर्थियों, जो केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष पदधारी हों, अथवा जो वेतन बैंड-3, श्रेणी वेतन 5400/-रुपये की वेतन संरचना में (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) और आइडीए पद्धति में समतुल्य 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनके पास कॉलम-7 में निर्धारित व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव हो, अथवा जो वेतन बैंड-2, श्रेणी वेतन 4800/-रुपये की वेतन संरचना में (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) और आइडीए पद्धति में समतुल्य 6 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनके पास कॉलम-7 में निर्धारित व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव हो ।

लेखाकार

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के संबंध में आयु
1	2	3	4	5	6
लेखाकार	80 आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'ग'	पीबी-2 (9,300-34,800 रुपये), श्रेणी वेतन 2,800/- रुपये सहित	सीधी भर्ती	अधिकतम 35 वर्ष

अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती
7	8
शैक्षिक योग्यता **अनिवार्य :** (ii) वाणिज्य में स्नातक डिग्री अथवा इंटरमीडिएट चार्टर्ड लेखाकार अथवा इंटरमीडिएट लागत लेखाकार अथवा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से इंटरमीडिएट कंपनी सचिव **वांछनीय:** (i) वाणिज्यिक लेखांकन में 3 वर्ष का अनुभव अथवा (ii) वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा, भारतीय लागत और निर्माणकार्य लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान से कम्पनी सचिव की अंतिम परीक्षा, वित्त में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातकोत्तर, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा की अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा ।	**सीधी भर्ती :** **शैक्षिक अर्हता** कॉलम-7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2011

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2011.

No. NHAI/11011/09/2009-HR.II.- In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 namely:-

1. (i) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2011.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be inserted, namely:-

   "Accountant"

3. In Schedule to the Principal regulations, the Schedule prescribing eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be substituted, namely:-

   "Manager (F&A)
   Dy. General Manager (F&A)"

RAJIV YADAV, Member (Admn.)
[ADVT. III/4/122/09-Exty.]

[ADVT. III/4/122/11-Exty.]

Explanatory Memorandum : Anything done or omiteed to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Foot Note: The Principal regulations were published vide notification No. NHAR/12011/1/95-Admn., dated 11th March,1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No. NHAI/11011/09/2009-HR.I, dated 13th January, 2010, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4, dated the 14th January, 2010.

4412 GI/11-2

Dy. General Manager [F&A]:

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale (in Rs.)	Method of recruitment	Age for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Dy. General Manager (F&A)	17 subject to variation as per requirement	Group A	PB-3 (Rs.15600 – 39100) with Grade Pay Rs.7,600.00	Promotion / Deputation/ Direct Recruitment	Maximum 45 years

Qualifications and Experience	In case of Promotion/Deputation
7	8
Education Qualification (i) Degree of a recognized University (ii) Masters Degree in Commerce OR Final Examination of the Institute of Chartered Accountants of India OR Final examination of the Institute of Cost and Works Accountant of India OR Master of Business Administration (two years course) with specialization in Finance OR Member of organized Group 'A' Cost/Accounts/Finance Service of the Central Government with 9 years of experience. **EXPERIENCE:** **Essential** A minimum of 9 (nine) years experience in Finance/Accounts related works in the Government of India or a Government undertaking or an Autonomous Body or a Commercial organization of repute. **Desirable:** Well versed with the implementation of infrastructural projects in particular, Planning, Procurement, Implementation, public Private Partnership and contract management in the Government of India or a Govt. Undertaking or an Autonomous Body or international financial/funding organizations or a Commercial Organization of repute.	**Promotion:** By Promotion from Managers (F&A) who has rendered not less than 3 (three) years of regular service. **Deputation:** By Deputation from candidates empanelled for Deputy Secretary in the Government of India, holding analogous post in the Central / State Government Department, Autonomous Body, Public Sector Undertaking or with 3 years of regular service in the Pay Structure of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100/-) with Grade Pay of Rs.6,600/- (in CDA Pattern) and equivalent in IDA pattern having the professional qualifications and experience as stipulated at Column-7 **Period of deputation** 4 years but may be extended / curtailed with the approval of the Competent Authority. **Direct Recruitment:** Candidates empanelled for Deputy Secretary in the Government of India, holding analogous post in the Central/State Government Department, Autonomous Body, Public Sector Undertakings or with 3 years of regular service in the Pay structure of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100/-) with Grade Pay of Rs.6,600/- (in CDA Pattern) and equivalent in IDA pattern having the professional qualifications and experience as stipulated at column-7

Manager [F&A]:

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale (in Rs.)	Method of recruitment	Age for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Manager (F&A)	46 subject to variation as per requirement	Group A	PB-3 (Rs.15600 – 39100) with Grade Pay Rs.6600.00	Promotion / Deputation/ Direct Recruitment	Maximum 40 years

Educational and other qualifications required	In case of Promotion /Deputation
7	8
Education Qualification (i) Degree of a recognized University (ii) Masters Degree in Commerce OR Final Examination of the Institute of Chartered Accountants of India OR Final Examination of the Institute of Cost and Works Accountant of India OR Master of Business Administration (two years course) with specialization in Finance OR Member of organized Group 'A' Cost/Accounts/Finance Service of the Central Government with 7 years of experience. **Experience** 7 years experience in Finance/Accounts Department of Government of India or a Government Undertaking or an Autonomous Body or a Commercial Organization of repute.	**Promotion:** By Promotion from Suitable Officers who has rendered 5 (five) years of regular service in the Grade next below with Grade Pay of Rs. 5,400/- or six years of service in Grade Pay of Rs. 4,800/-. **Deputation**: By deputation from candidates empanelled for Under Secretary in the Government of India, holding analogous post in the Central / State Government Department, Autonomous Body, Public Sector Undertakings or with 5 years of regular service in the Pay Structure of PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/-(in CDA pattern) and equivalent in IDA pattern having the professional qualifications and experience as stipulated at column-7 or with 6 years of regular service in the Pay Structure of Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/- (in CDA Pattern) and equivalent in IDA pattern having the professional qualifications and experience as stipulated at Column-7 **Period of deputation** 3 years but may be extended / curtailed with the approval of the Competent Authority. **Direct Recruitment:** Candidates empanelled for Under Secretary in the Government of India, holding analogous post in the Central/State Government Department,

	Autonomous Body, Public Sector Undertakings or with 5 years of regular service in the Pay Structure of PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/- (in CDA Pattern) and equivalent in IDA pattern having the professional qualifications and experience as stipulated at Column-7 or with 6 years of regular service in the Pay Structure of Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/- (in CDA Pattern) and equivalent in IDA pattern having the professional qualifications and experience as stipulated at column-7

Accountant.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale (in Rs.)	Method of recruitment	Age for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Accountant	80 subject to variation as per requirement	Group 'C'	PB-2 (Rs.9,300 – 34800) with Grade Pay Rs.2,800/-	Direct recruitment	Maximum 35 years

Educational and other qualifications required	**Direct recruitment**
7	8
Educational Qualification **Essential** (ii) Bachelors Degree in Commerce OR Intermediate Chartered Accountant OR Intermediate Cost Accountant OR Intermediate Company Secretary from Institute of Company Secretary of India **Desirable:** (i) 3 years experience in Commercial Accounting OR (ii) Master of Commerce, Final Chartered Accountant, Final Cost Accountant, Final Company Secretary from Institute of Company Secretary of India, Master of Business Administration (two years course) with specialization in Finance, Subordinate Accounts Service Examination of Indian Audit and Accounts Service	**Direct Recruitment** **Educational Qualification** **Essential Educational Qualifications and experience as stipulated at Col.7**

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.